



MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY, AJMER

No. F.14(276)Acad.II/MDSU/2022/ 86857

Dated:- 30/11/22

**The Principal,
Acharya Shri Mahaprabhu Institute of Excellency,
Mahapragya Nagar, Asind.
Dist. Bhilwar. (Rajasthan) 311501**

Regr

Sub.- Extension in provisional affiliation for the session 2018-19 to 2021-22.

Dear sir,

With reference to your application for the purpose mentioned in the subject cited above. I am directed to inform you that on the recommendation of the Affiliation Committee, the Hon'ble Vice-Chancellor has been pleased to grant extension in provisional affiliation to your college in the course mentioned below for the academic session along with the seats as mentioned against the said course subject to fulfillment of the conditions mentioned below and overleaf during the session the aforesaid period.

| Course | Session | Seats |
|------------------------------|--------------------|-------|
| 04 Yr B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. | 2018-19 to 2021-22 | 100 |

नोट:- महाविद्यालय को सत्र 2018-19 से 2021-22 तक में 04 वर्षीय बी.ए. बी.एड. / बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रम की उपरोक्त अंकित सीटों की अस्थाई सम्बद्धता वृद्धि विश्वविद्यालय पत्रांक 84903 दिनांक 01.11.2022 के क्रम में विश्वविद्यालय रसीद सं. 0001331 दिनांक 17.11.2022 के द्वारा आर्थिक दण्ड राशि रु. 2,00,000/- (अक्षरे रु. दो लाख) मात्र विश्वविद्यालय कोष में जमा कराए जाने के पश्चात् निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है, कि महाविद्यालय को 60 दिवस में निम्नानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रमाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय को भिजवाना अनिवार्य है, अन्यथा सत्र 2022-23 में प्रवेश पर रोक रहेगी:-

सत्र 2018-19:-

- उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त शिक्षकों में से केवल श्री विष्णु कुमार साहू के अतिरिक्त कोई भी शिक्षक नेट सेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण एनसीटीई के मापदण्डानुसार योग्यताधारी नहीं है। योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें।
- महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि का खसरा नम्बर अंकित करते हुए रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- महाविद्यालय सत्र 2018-19 में उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों की यूजीसी/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय नियमानुसार कालांश व उपस्थिति की अनिवार्यता सुनिश्चित करें।

सत्र 2019-20:-

- उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु नियुक्त शिक्षकों में से केवल श्री दीपेश कुमार विशनावत के अतिरिक्त कोई भी शिक्षक नेट सेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण एनसीटीई के मापदण्डानुसार योग्यताधारी नहीं है। योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करें।
- महाविद्यालय संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी पत्रांक:- प031(1)शिक्षा-4/2016 दिनांक 17.04.2018 के क्रम में महाविद्यालय परिसर में उक्त महाविद्यालय के अतिरिक्त अन्य संस्था/महाविद्यालय संचालित नहीं किए जाने बाबत महाविद्यालय भूमि